संस्थान के आचरण निदेश

1. आवासीय कमरों को बन्द करते समय एवं सोने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि गीजर, बिजली के स्विच तथा नल बन्द कर दिये गये है। यदि बिजली न हो तो कमरे के बाहर जाने एवं सोने से पूर्व सभी स्विच बन्द कर दें। आवश्यकता न होने पर पानी का नल बन्द रखें।

2. भोजनालय में उचित वस्त्रों में जाना अनिवार्य है। गाऊन, लुंगी, पैजामा, स्लीपिंग सूट, चप्पल आदि पहन कर भोजनालय में जाना निषिद्ध है।

3. भोजनालय में शान्तिपूर्ण वातावरण बनाये रखना अनिवार्य है। ऊँचे स्वर में बहस करना, शालीन व्यवहार नही है। अतः संयम बरतना वांछनीय है। संस्थान परिसर एवं भोजनालय में धूम्रपान, मद्यपान पूर्णतया निषिद्ध है तथा पान, पान-मसाला, तम्बाकू वगैरह खाकर थूकना अथवा किसी प्रकार से गन्दगी करना पूर्णतया निषिद्ध है।

4- प्रशिक्षण अवधि से अतिरिक्त समय में प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह उचित परिधान धारण करें और भड़कीले रंग की टी-शर्ट, वरमूदा (हाफ पैंट) आदि पहनकर संस्थान परिसर में न घूमें।

5- संस्थान का पुस्तकालय प्रातः 9.00 बजे से सायंकाल 7.30 बजे तक अध्ययन हेतु खुला रहेगा। समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएं वाचनालय में उपलब्ध रहेंगी।

6- कार्यक्रमानुसार वार्ता/ अभ्यास के लिए नियत समय से 5 मिनट पूर्व प्रशिक्षण कक्ष में अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। यह व्यवहार शोभनीय प्रतीत नहीं होता कि अतिथि वार्ताकार के कक्ष में प्रवेश के उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों का आवागमन चलता रहे।

7- अतिथि-वार्ताकार प्रायः माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगण, प्रतिष्ठित विधिवेत्ता, न्यायाधीशगण, विद्वानगण तथा संकाय अधिकारीगण होंगे। प्रशिक्षणार्थी अधिकारी से वार्ता तथा सम्पूर्ण प्रशिक्षण के दौरान गम्भीर, संतुलित एवं शालीन व्यवहार की अपेक्षा की जाती है।

8. संस्थान में प्रवास में किसी असुविधा के लिए कोर्स निदेशक/ सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। अपर निदेशक/ निदेशक से भी आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकते है।

9. प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान निदेशक, कोर्स निदेशक तथा संकाय अधिकारियों के मौखिक एवं लिखित आदेशों का पालन करना होगा।

10. प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण अवधि में संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सह-प्रशिक्षुओं के साथ सभ्य, एवं मर्यादित व्यवहार करना होगा।

11. प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण अवधि में प्रातः योग/ पी.टी. की कक्षाओं में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

12- प्रशिक्षु अधिकारी प्रशिक्षण अवधि के दौरान निदेशक की अनुमति के बिना रात्रि में छात्रावास के बाहर नहीं रहेंगे। बिना अनुमति के अन्यत्र रहने अथवा लखनऊ से बाहर जाने पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

13. प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी अधिकारी को नियुक्ति की शर्तो के अनुसार एक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, जिसका संचालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

14- प्रशिक्षण की समाप्ति के एक दिन पूर्व भोजनालय तथा छात्रावास कक्ष शुल्क का भुगतान करना, खेल सामान तथा पुस्तकालय से निर्गत करायी गयी पुस्तकों को वापस करना, प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। तदुपरान्त संस्थान द्वारा अदेयता प्रमाण-पत्र देय होगा।

(वी0के0 माथुर)
निदेशक।